उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-04/2016/1443/92-2-15-165आरई/2010

लखनऊ:: दिनांक:: 14 जनवरी,2016

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया में डॉ0 अम्बेडकर ग्राम समग्र विकास योजना (पी0सी0) वर्ष 2007-08 के अनुबन्ध संख्या-137/ई0ई0, दिनांक 14-02-2008 एवं अनुबन्ध सं0-139/ई0ई0, दिनांक 14-02-2008 द्वारा बालू/एस0सी0आर0ए0 में किये गये अनियमित भुगतान तथा अनुबंध पंजिका में मात्र अनुबंध संख्या का प्रयोग किये जाने आदि अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3404/62-3-09-165आरई/2010, दिनांक 21-12-2010 द्वारा श्री एस0बी0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र दिनांक 27-01-2012 द्वारा शासन में जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही पाया गया, किन्तु शासन द्वारा विचारोपरान्त पत्र दिनांक 21-06-2012 द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देशित किया गया कि संबंधित अधीक्षण अभियंता/जॉच अधिकारी को तार्किक नमूना भेजकर पुन: आख्या भेजने की कार्यवाही करें। उक्त् के क्रम में निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 28-10-2013 के माध्यम से जॉच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र दिनांक 27-09-2013 द्वारा पुन: संशोधित जॉच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी।

2- जॉच अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-वाराणसी के पत्र दिनांक 27-09-2013 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में श्री एस0बी0 सिंह के विरूद्व अधिरोपित कतिपय आरोप स्थापित पाये गये। अतएव शासन के पत्र दिनांक 15-04-2014 द्वारा जॉच अधिकारी की जॉच आख्या में स्थापित आरोपों के संबंध में उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 07-05-2014 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, जॉच आख्या में स्थापित पाये गये आरोपों के संबंध में अपचारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त शासन द्वारा पाया गया कि अपचारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी पर, उनके विरूद्व अधिरोपित कोई आरोप स्थापित नही होता है। अतएव शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21-12-2010 द्वारा श्री एस0बी0 सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया के विरूद्व संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही आरोप स्थापित न पाये जाने के आधार पर एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

डॉ0 प्रभात कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या- 14/2016/1443(1)/92-2-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

2- श्री एस0बी0 सिंह, तत्कलीन सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बलिया द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, (स्था0-1) ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।